

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/ 1090

दिनांक: 23-09-2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में बाढ से अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 वृत कोटा खण्ड रामगंजमण्डी की तहसील रामगंजमण्डी ब्लॉक खेराबाद के क्षतिग्रस्त सडकों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1029 दिनांक 05.09.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा./ प्रस्ताव/ बाढ/2024 / 5897-904 जयपुर दिनांक 20.09. 2024 के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 वृत कोटा खण्ड रामगंजमण्डी की तहसील रामगंजमण्डी ब्लॉक खेराबाद क्षेत्र की क्षतिग्रस्त 56 सडक राशि रू0 89.96 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि(SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्धीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी – अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिलाखण्ड रामगंजमण्डी

तहसील :- रामगंजमण्डी

क्र.सं.	रोड का नाम मय लोकेशन	क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन	रोड की लम्बाई (किमी में)	SDRF मापदण्डों के अनुसार दर (राशि प्रति किमी)	एस.डी.आर. एफ. मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में।
1	2	3	4	5	6
1	लाड़पुरा सलावटिया मोड़क सड़क किमी 0/400 से 2/800	किमी 0/400 से 2/800	2.40	1.00	2.40
2	अमझार भटवाड़ा खेड़ली चेचट मदनपुरा गोयन्दा से कैथूली जैन मन्दिर राज्य सीमा तक किमी 17/0 से 22/500 एवं किमी 25/0 से 32/0	किमी 17/0 से 22/500 एवं किमी 25/0 से 32/0	12.50	1.00	12.50
3	एस.एच.9ए से सम्पर्क सड़क खेड़ारुद्धा किमी 0/0 से 2/600	किमी 0/0 से 2/600	2.60	0.60	1.56
4	सम्पर्क सड़क अरनियाकलां किमी 0/0 से 4/0	किमी 0/0 से 4/0	4.00	0.60	2.40
5	सम्पर्क सड़क बंदा से डोडखेडी किमी 0/0 से 2/0	किमी 0/0 से 2/0	2.00	0.60	1.20
6	मोड़क से चौंसला किमी 0/0 से 1/850	किमी 0/0 से 1/850	1.85	0.60	1.11
7	सम्पर्क सड़क कोला अहिरान किमी 0/0 से 0/600	किमी 0/0 से 0/600	0.60	0.60	0.36
8	सम्पर्क सड़क किशोरपुरा किमी 0/0 से 0/600	किमी 0/0 से 0/600	0.60	0.60	0.36
9	नयागांव से मनोहरपुरा किमी 0/0 से 1/800	किमी 0/0 से 1/800	1.80	0.60	1.08
10	एसएच.9ए किमी 109 से कोटडी किमी 0/0 से 4/200	किमी 0/0 से 4/200	4.20	0.60	2.52
11	ढाबादेह निमाना सड़क से दुहनिया किमी 0/0 से 0/800	किमी 0/0 से 0/800	0.80	0.60	0.48
12	सलावद खुर्द से बडोदिया आंतरी किमी 0/0 से 3/200	किमी 0/0 से 3/200	3.20	0.60	1.92
13	चेचट आलोद सड़क किमी 7 से खणी किमी 0/0 से 2/0	किमी 0/0 से 2/0	2.00	0.60	1.20
14	देवलीकलां से बोरदी किमी 0/0 से 3/200	किमी 0/0 से 3/200	3.20	0.60	1.92
15	सम्पर्क सड़क झिलारा किमी 3/0 से 12/0	किमी 3/0 से 12/0	9.00	0.60	5.40
16	सम्पर्क सड़क अमझार किमी 0/0 से 1/0	किमी 0/0 से 1/0	1.00	0.60	0.60

17	नियामतखडी से धरनावद अप टू एस.एच.9ए किमी 143/100 किमी 3/0 से 4/500	किमी 3/0 से 4/500	1.50	0.60	0.90
18	आलोद से खेड़ारुद्धा किमी 0/0 से 5/0	किमी 0/0 से 5/0	5.00	0.60	3.00
19	बीडमण्डी से अरनिया खुर्द किमी 0/0 से 1/0	किमी 0/0 से 1/0	1.00	0.60	0.60
20	मुण्डिया से लसूडिया किमी 0/0 से 2/0	किमी 0/0 से 2/0	2.00	0.60	1.20
21	कोटडी से हथौना किमी 0/0 से 3/0	किमी 0/0 से 3/0	3.00	0.60	1.80
22	सम्पर्क सड़क राजूखेड़ा किमी 0/0 से 0/800	किमी 0/0 से 0/800	0.80	0.60	0.48
23	हाथियाखेड़ी सड़क से राजपुरा खुर्द किमी 0/0 से 1/450	किमी 0/0 से 1/450	1.45	0.60	0.87
24	सालेड़ा खुर्द से गुलाबपुरा किमी 0/0 से 1/100	किमी 0/0 से 1/100	1.10	0.60	0.66
25	खणी सड़क से मोतीपुरा खुर्द किमी 0/0 से 1/800	किमी 0/0 से 1/800	1.80	0.60	1.08
26	जुल्मी सड़क से सेमलहेडी किमी 0/0 से 0/800	किमी 0/0 से 0/800	0.80	0.60	0.48
27	खेड़ारुद्धा सड़क से दुधियाहेडी किमी 0/0 से 1/800	किमी 0/0 से 1/800	1.80	0.60	1.08
28	मदनपुरा सड़क से राईखेड़ा किमी 0/0 से 1/300	किमी 0/0 से 1/300	1.30	0.60	0.78
29	गोयन्दा से लसूडिया किमी 0/0 से 2/500	किमी 0/0 से 2/500	2.50	0.60	1.50
30	देवलीकलां से मवासा वायां जालिमपुरा किमी 0/0 से 2/500	किमी 0/0 से 2/500	2.50	0.60	1.50
31	खेड़ली से रामपुरिया किमी 0/0 से 2/0	किमी 0/0 से 2/500	2.00	0.60	1.20
32	घाटोली से बक्शपुरा किमी 0/0 से 2/750	किमी 0/0 से 2/750	2.75	0.60	1.65
33	बड़ोदिया से धारुपुरा किमी 0/0 से 1/250	किमी 0/0 से 1/250	1.25	0.60	0.75
34	चेचट मदनपुरा से मोतीपुरा कलां किमी 0/0 से 1/100	किमी 0/0 से 1/100	1.10	0.60	0.66
35	आलोद सड़क से ब्रह्मा का छाप्पर किमी 0/0 से 3/0	किमी 0/0 से 3/0	3.00	0.60	1.80
36	एन.एच.-12 से कुटक्या किमी 0/0 से 1/0	किमी 0/0 से 1/0	1.00	0.60	0.60
37	देवलीकलां से बिश्न्याखेडी किमी 0/0 से 3/0	किमी किमी 0/0 से 3/0	3.00	0.60	1.80
38	मुण्डिया सड़क से लसूडिया सड़क किमी 0/0 से 0/800	किमी 0/0 से 0/800	0.80	0.60	0.48
39	गणेशपुरा हमाउ सड़क से घायपुरा किमी 0/0 से 1/0	किमी 0/0 से 1/0	1.00	0.60	0.60
40	कंवरपुरा से खेड़ली किमी 0/0 से 2/500	किमी 0/0 से 2/500	2.50	0.60	1.50
41	साण्डियाखेडी से हथौना किमी 0/0 से 2/0	किमी 0/0 से 2/0	2.00	0.60	1.20
42	जुल्मी सड़क से उण्डवा सड़क किमी 0/0 से 2/0	किमी 0/0 से 2/0	2.00	0.60	1.20
43	सम्पर्क सड़क रामगंजमण्डी किमी 0/0 से 3/500	किमी 0/0 से 3/500	3.50	0.60	2.10
44	भटवाड़ा नयागांव सड़क किमी 2/100 से जामरा किमी 0/0 से 0/550	किमी 0/0 से 0/550	0.55	0.60	0.33
45	देवलीकलां से साण्डियाखेडी किमी 0/0 से 2/500	किमी 0/0 से 2/500	2.50	0.60	1.50

46	खेराबाद से रिछड़िया सड़क किमी 0/0 से 4/200	किमी 0/0 से 4/200	4.20	0.60	2.52
47	साण्डियाखेडी से घाटोली किमी 0/0 से 5/500	किमी 0/0 से 5/500	5.50	0.60	3.30
48	आलोद से निमोदा किमी 0/0 से 1/250	किमी 0/0 से 1/250	1.25	0.60	0.75
49	सुकेत सड़क से पीपाखेडी किमी 0/0 से 4/800	किमी 0/0 से 4/800	4.80	0.60	2.88
50	उण्डवा सड़क से नियामतखेडी किमी 3/0 से 5/0	किमी 3/0 से 5/0	2.00	0.60	1.20
51	सुकेत से सलावद किमी 0/0 से 3/200	किमी 0/0 से 3/200	3.20	0.60	1.92
52	सम्पर्क सड़क बड़ोदियाकलां किमी 0/0 से 1/250	किमी 0/0 से 1/250	1.25	0.60	0.75
53	सम्पर्क सड़क खीमच किमी 0/0 से 1/100	किमी 0/0 से 1/100	1.10	0.60	0.66
54	रिछड़िया से ढाकिया वाया तमोलिया किमी 0/0 से 4/600	किमी 0/0 से 4/600	4.60	0.60	2.76
55	मण्डा से मुण्डिया अप टू सनखेड़ा किमी 0/0 से 2/500	किमी 0/0 से 2/500	2.50	0.60	1.50
56	सातलखेडी से पीपाखेडी किमी 0/0 से 2/350	किमी 0/0 से 2/350	2.35	0.60	1.41
योग					89.96

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत केवल उन्हीं सड़कों की की जावे, जिन सड़कों की क्षति बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ से हुई है जिससे सामान्य जन-जीवन को बाधित होने से सड़कों की तात्कालिक मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।
2. उक्त कार्यों को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
3. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
4. विभाग द्वारा Per Km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्स अनुसार किया है अतः सा0नि0विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों की मरम्मत पर न करें।
5. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।
6. प्रस्तावों में उन्हीं सड़कों की मरम्मत करवाया जाये जो पेचवर्क द्वारा ठीक करायी जा सकती है।
7. ये सड़कें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
8. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
9. कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
10. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
11. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नॉर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।
12. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
13. राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु राशि तभी स्वीकृत की जावे, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नहीं है।

14. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
15. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
16. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सडक के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
17. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
18. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
19. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
20. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालिन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराये जा सकेंगे।
21. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यो का कार्य पूर्णता: प्रमाण पत्र इस विभाग को प्रेषित करे।

जिला कलक्टर,

कोटा

दिनांक: 23-09-2024

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2024/ 1090

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग़वाही हेतु :-

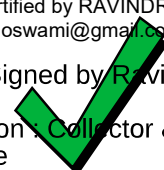
1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. अति० मुख्य अभियन्ता सा०नि०वि० सम्भाग कोटा।
4. अधीक्षण अभियन्ता सा०नि०वि० वृत्त कोटा।
5. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी।
6. अधिशाषी अभियन्ता सा०नि०वि० सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड कोटा।
7. अधिशाषी अभियन्ता सा०नि०वि० जिलाखण्ड रामगंजमण्डी।

जिला कलक्टर,

कोटा

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation : Collector & District
Magistrate
Date :23-09-2024 03:12:46



OCZ Relief
20/9/2024



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:एफ.8(28)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2024/RAJKAJ-5897-904 जयपुर, दिनांक 20-9-24
प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु जिला कलेक्टर, कोटा से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1029 दिनांक 05.09.2024 के आधार पर अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त कोटा जिला खण्ड सांगोद तह. सांगोद के 69 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 121.37 लाख, अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त कोटा जिला खण्ड सांगोद तह. कनवास ब्लॉक सांगोद के 57 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 114.92 लाख, अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त कोटा जिला खण्ड कोटा तह. लाडपुरा के 80 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 123.53 लाख, अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त कोटा जिला खण्ड इटावा तह. पीपल्दा के 75 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 119.21 लाख एवं अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त कोटा खण्ड रामगंजमण्डी तह. रामगंजमण्डी ब्लॉक खैराबाद के 56 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 89.96 लाख कुल 337 कार्यों हेतु राशि रुपये 568.99 लाख (अक्षरे रुपये पांच करोड़ अड़सठ लाख नित्यानवें हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

- विभाग द्वारा Per km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा.नि.वि.भाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के Restoration पर न करें।
- प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
- जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
- बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- वे सड़कें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
- जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लें कि बजट की मांग SDRF नॉर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जाये।

(Signature)



- (vii) कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- (viii) जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- (ix) जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
- (x) प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- (xi) इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ़, चक्रवात आदि।

106- खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(08)- (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना)

[01]- [सड़कों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना]

21- अनुसूचण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध

(केन्द्रीय सहायता 75 प्रति. राशि रु. 426.74 लाख)

(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रु. 142.25 लाख)

- (xii) स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।
- (xiii) स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

- (xiv) निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
- (xv) निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2024 तक राजकोष में जमा करवाई जावे।
- (xvi) कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता: प्रमाण-पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।
- (xvii) व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावे।

(भगवत सिंह)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

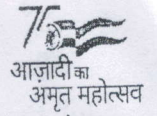
1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर कोटा को प्रेषित कर लेख है कि एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावे।

अधिशायी अधिकारी नगर पालिका ईटावा तह. पीपल्दा ब्लॉक ईटावा के सड़क मरम्मत के प्रस्तावों में Other सड़कों हेतु राशि की मांग कि गई है, उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं होने के कारण प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा तह. लाडपुरा के सड़क मरम्मत के प्रस्तावों में सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से कि लोकेशन अंकित नहीं कि गई है तथा रोड कि कुल वास्तविक लम्बाई भी अंकित नहीं कि गई है। उक्त सड़क के कहीं से कहीं तक जाती है यह भी अंकित नहीं किया गया है। उक्त प्रस्तावों के 48 कार्यों हेतु राशि रुपये 244.30 लाख को स्वीकृत नहीं किया गया है।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा तह. लाडपुरा के सड़क मरम्मत के प्रस्तावों में पुलिया के क्षतिग्रस्त हिस्से कि लोकेशन अंकित नहीं कि गई है तथा पुलिया किस रोड पर स्थित है यह अंकित नहीं किया गया है। उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा तह. लाडपुरा के बाउण्ड्री वाल हेतु राशि कि मांग कि गई है। उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।



अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. वृत्त कोटा जिला खण्ड सुल्तानपुर तह. दीगोद के सड़क प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकड़ों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

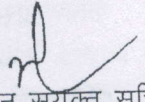
अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. वृत्त कोटा नगर खण्ड कोटा तह. लाडपुरा के प्रस्तावों में UR सड़कों हेतु राशि की मांग की गई है उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

अति. आयुक्त, नगर निगम कोटा तह. कोटा के प्रस्तावों के सड़क मरम्मत के प्रस्तावों में सड़कों का प्रकार एवं लोकेशन अंकित नहीं करने के कारण उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. वृत्त व जिला खण्ड कोटा, तह. लाडपुरा के प्रस्तावों के क्र.सं. 02 पर अंकित कार्यों में ODR सड़क हेतु राशि रुपये 2.39 लाख की मांग की गई है उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव में कुल 81 कार्य हेतु मांग की गई राशि रुपये 125.92 लाख के स्थान पर 01 कार्यों को कम करते हुए 80 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 123.53 लाख स्वीकृत करने किये गये हैं।

अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. वृत्त कोटा खण्ड रामगंजमण्डी तह. रामगंजमण्डी ब्लॉक खैराबाद के प्रस्तावों के क्र.सं. 03 व 04 पर अंकित कार्यों में ODR सड़क हेतु राशि रुपये 9.71 लाख की मांग की गई है उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव में कुल 58 कार्य हेतु मांग की गई राशि रुपये 99.67 लाख के स्थान पर 02 कार्यों को कम करते हुए 56 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 89.96 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
7. मुख्य अभियन्ता, (सड़क) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, कोटा।


शासन सयुक्त सचिव